

प्रेषिका,

अन्जू काम्बोज,
अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बांदा।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बांदा।

विषयः— श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बांदा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रदत्त वार्षिक गोपनीय टिप्पणी के सम्बंध में प्रतिवेदन :—

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश से आने के उपरांत दिनांक 12.06.2023 को मेरे द्वारा ई सर्विसिज पोर्टल पर श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बांदा द्वारा प्रदत्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अवलोकन किया गया, जिसके सम्बंध में मेरा प्रतिवेदन निम्नलिखित हैः—

1. इस गोपनीय टिप्पणी की प्रति श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किये जाने से पूर्व मुझे प्राप्त नहीं करायी गयी है।
2. इस गोपनीय टिप्पणी के पैरा—1(a),1(b),1(c),1(d),1(e)(i)(a), 1(e)(i)(b), 1(e)(ii), 1(e)(iii), 1(e)(vi), 1(e)(vii), 1(f), 1(f)(i)(ii)(iii), 1(g), 1(g)(i), 1(g)(iv), 1(h), 1(i),1(j), 1(k), 1(l), 1(m), 1(n) व 2,3 के विषय में मुझे कोई कथन नहीं करना है।
3. इस गोपनीय टिप्पणी के **पैरा— 1(e)(iv)** में मेरे द्वारा निर्णित निष्पादन वादों की संख्या 14 अंकित की गई है जबकि मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र में मेरे द्वारा निर्णित निष्पादन वादों की संख्या 27 अंकित की गई है, जिसकी सूची मेरे द्वारा सलंगन की गई है। इस संदर्भ में स्वनिर्धारण प्रपत्र की प्रति सलंगनक—1 के रूप में श्रीमान् जी, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।
4. इस गोपनीय टिप्पणी के **पैरा— 1(e)(v)** में अंतरिम आदेश एवं निषेधाज्ञा आदेश से संबंधित कालम में N/A अंकित किया गया है जबकि मेरे द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डिओ), बांदा में कार्यकाल के दौरान अंतरिम आदेश एवं निषेधाज्ञा आदेश युक्तिसंगत आधार पर पारित किए गए हैं। मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र में मेरे द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेशों 1. माहेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम मुन्ना गुप्ता एवं अन्य तथा 2. शिवदास बनाम श्री राम की प्रतियां सलंगन की गई हैं। स्वनिर्धारण प्रपत्र के साथ सलंगन की गई उपरोक्त आदेशों की प्रतियां सलंगनक—2 व 3 के रूप में श्रीमान् जी, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित हैं।
5. इस गोपनीय टिप्पणी के **पैरा—1(g)(ii)** में साक्षियों के पक्षद्रोही होने पर अभियुक्त के दोषमुक्त होने के संबंध में निर्णित वादों की संख्या निल अंकित की गयी है जबकि मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र में मेरे द्वारा इस प्रकार से **निर्णित वादों की संख्या 3** अंकित की गई है। इस संदर्भ में स्वनिर्धारण प्रपत्र की प्रति सलंगनक—4 के रूप में श्रीमान् जी, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।
6. इस गोपनीय टिप्पणी के **पैरा—1 (g)(iii)** में समझौते / ए0डी0आर0 के आधार

पर निर्णीत सिविल वादों की संख्या निल अंकित की गई है, जबकि मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र में मेरे द्वारा इस प्रकार से **निर्णीत वादों की संख्या 13** अंकित की गई है। न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में अल्प कार्यावधि (जिसका उल्लेख आगामी पैरा में किया गया है) के दौरान मेरे द्वारा 13 सिविल वादों 1—मूलवाद सं0 185 / 16, 2—मूलवाद सं0 81 / 2018 3—मूलवाद सं0 133 / 2022, 4—मूलवाद सं0 139 / 2020, 5—मूलवाद सं0 78 / 2022, 6—मूलवाद सं0 105 / 2022, 7—मूलवाद सं0 146 / 2019, 8—मूलवाद सं0 25 / 2020, 9—मूलवाद सं0 225 / 2021, 10—मूलवाद सं0 240 / 2022, 11—मूलवाद सं0 14 / 2021, 12—मूलवाद सं0 185 / 2021, 13—मूलवाद सं0 109 / 2022 का निस्तारण समझौते के आधार पर किया गया। इस संदर्भ में स्वनिर्धारण प्रपत्र की प्रति सलंगनक— 5 के रूप में श्रीमान् जी, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

7. इस गोपनीय टिप्पणी के **पैरा— 4** में सिविल वादों के निस्तारण के सम्बंध में असंतुष्ट होने की प्रविष्टि अंकित की गयी है। इस संबंध में विनम्र निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान मेरे द्वारा दिनांक 01.04.2022 से 04.07.2022 तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के रूप में कार्य किया गया। न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में मेरे द्वारा दिनांक 06.07.2022 से 21.01.2023 तक तथा न्यायालय अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय द्वितीय में मेरे द्वारा दिनांक 22.01.2023 से 31.03.2023 तक कार्य किया गया। न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में कार्यकाल के दौरान मैं लगभग तीन माह अवकाश पर रही तथा मेरे द्वारा 103 कार्यदिवसों (लगभग तीन माह दस दिन), ही इस न्यायालय में कार्य किया गया। इस संदर्भ में स्वनिर्धारण प्रपत्र की प्रति सलंगनक— 6 के रूप में श्रीमान् जी, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है। मेरे कार्यकाल के दौरान न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में **सिविल वादों के अतिरिक्त लघुवाद एवं फौजदारी वाद भी** लम्बित थे। मेरे द्वारा सब प्रकार के वादों मूलवाद, प्रकीर्ण वाद, निष्पादन वाद, उत्तराधिकार वाद, लघुवाद एवं फौजदारी वादों तथा प्राचीन वादों का समुचित निस्तारण अपने कार्यकाल के दौरान किया गया जैसा कि मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र में विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से अंकित है तथा **गोपनीय प्रविष्टि के पैरा— 1(g)(i)** में भी इस तथ्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा अन्य मूलवादों को भी निस्तारित करने के अथवा प्रयास किये गये।

न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में मेरे कार्यकाल में लम्बित वादों की संख्या बढ़ने का कथन अंकित किया गया है, जबकि इस संबंध में मेरा निवेदन है कि न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में मेरी अवकाश अवधि के दौरान लगभग 94 से अधिक मूलवाद दायर हुए तथा मेरे कार्यकाल में लगभग 62 मूलवाद दायर हुए। इस प्रकार मेरे अवकाशकाल में दायर हुए मूलवादों की संख्या मेरे कार्यकाल में दायर हुए मूलवादों की तुलना में काफी अधिक है जिस कारण सिर्फ मेरे कार्यकाल में ही मूलवादों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मेरे द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0) बांदा में लगभग 3 माह 10 दिन की अल्प अवधि के कार्य काल के दौरान 27 (सत्ताइस) इजराय वाद निस्तारित किये गये। साक्षियों के पक्षद्वाही होने पर अभियुक्त के दोषमुक्त होने से संबंधित 3 (तीन) वाद निर्णीत किये गये तथा 13 (तेरह) सिविल वाद समझौते/ ए0डी0आर0 के आधार पर निस्तारित किये गये। मेरे द्वारा सब प्रकार के वादों मूलवाद, प्रकीर्ण वाद, निष्पादन वाद, उत्तराधिकार वाद, लघुवाद एवं फौजदारी वादों का समुचित निस्तारण अपने कार्यकाल के दौरान किया गया। मेरे द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डिं0), बांदा में कार्यकाल के दौरान अंतरिम आदेश एवं निषेधाज्ञा आदेश युक्तिसंगत आधार पर पारित किए गए हैं। मेरे अवकाशकाल में दायर हुए मूलवादों की संख्या मेरे कार्यकाल में दायर हुए मूलवादों की तुलना में काफी अधिक रही है।

अतः विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी के कालॅम संख्या पैरा-1(e)(iv),1(e)(v),1(g)(ii),1(g)(iii) व पैरा- 4 की प्रविष्टि के सन्दर्भ में उपरांकित स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक मानते हुए इस प्रविष्टि को प्रतिकूल न मानने की कृपा की जाये।

सादर निवेदन है कि मेरे वर्तमान प्रतिवेदन को सहानूभूतिपूर्वक विचार हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

यदि उपरोक्त स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रेषित करने में कोई विलम्ब कारित हुआ है तो उसे क्षमा करने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक: 17.06.2023

भवदीया,

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

(अन्जू काम्बोज)

अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांदा।

आई0डी0 नं0 यू.पी.— 1775